मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1132

10.02.2025 को उत्तर के लिए

वनों का संरक्षण

1132. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोरः
श्री जिया उर रहमानः
डॉ. राजकुमार सांगवानः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में वन क्षेत्र निरंतर कम होता जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा देश में वनों के संरक्षण और वन क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या पेड़ों की कटाई की घटनाओं में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा वन क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई और शिकार को रोकने के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का वनों के संरक्षण हेतु कोई नई राष्ट्रीय योजना आरंभ करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अधीनस्थ संगठन - भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून, वर्ष 1987 से द्विवार्षिक रूप से वन क्षेत्र का आकलन करता आ रहा है और इसके निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित होते हैं। पिछले एक दशक से देश में वन क्षेत्र में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जा रही है। आईएसएफआर 2023 के अनुसार, वर्ष 2013 से 2023 के आकलन के बीच वन क्षेत्र में 16,630 वर्ग किलोमीटर की निवल वृद्धि हुई है।

वन और वृक्ष संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य

सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का है। देश के वन और वृक्ष संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कानून हैं, जिनमें भारतीय वन अधिनियम 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 और राज्य वन अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम और नियमावली आदि शामिल हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को कानून के उपबंधों के अनुसार वनों के संरक्षण, पेड़ों की अवैध कटाई और वन क्षेत्र में शिकार को रोकने के लिए परामर्शिका जारी करता है। इस संबंध में, राज्य वन विभागों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और सीमांकन, वन सीमा पर खंभे लगाना और फील्ड स्टाफ द्वारा नियमित गश्त करना शामिल हैं।

इसके अलावा, यह मंत्रालय देश में वनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सरकार ने राष्ट्रीय हरित भारत अभियान (जीआईएम), वन्यजीव पर्यावासों का विकास (डीडब्ल्यूएच) और नगर वन योजना (एनवीवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत वनीकरण के लिए निधि उपलब्ध कराई है। ये योजनाएँ वन क्षेत्रों के अंदर और बाहर वनीकरण, वन परिदृश्य की पुनर्बहाली, पर्यावास सुधार, मृदा और जल संरक्षण संबंधी उपायों तथा संरक्षण आदि के माध्यम से पारिस्थितिकीय पुनर्बहाली के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) के तहत भी वनीकरण किया जाता है।

विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के उपलक्ष्य में एक_पेड़_माँ_के_नाम #Plant4Mother अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य हरित आवरण को बढ़ाने के लिए "संपूर्ण सरकार" और "संपूर्ण समाज" के दृष्टिकोण से सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ पूरे देश में वृक्षारोपण कार्यकलापों की शुरूआत करना है। सभी हितधारकों द्वारा मेरी लाइफ पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, जनवरी, 2025 के अंत तक 109 करोड़ पौधे लगाए जाने की सूचना मिली है।

******